PRADESH

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

हम कि श्री चितरंजन दास व रवींरंजन दास व श्री कृष्ण दास पिसरान श्री लाला हरसरन दास वैश्य अग्रवाल निवासी रईस कोठी नं० २७ औरंगज़ेब रोड़ नई दिल्ली के हैं जो कि मवाज़ी नो बीघे चार बीस्वे साढ़े तेरह बीसवान्सी (६ ४ - १३½) पुख्ता आराजी नम्बरी जैल मिनजुमला खाते खात भूमिधरी ८२ व २७१ व ७२४ व ५२८ वाके ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ बहैसियत काश्त भूमिधरी हम बयान की एग्रीकल्चर लैंड तनहा मिलकियत व मकबूजा खास भूमिधरी है जिसका रकबा २७९३१ वगगज (सताईस हजार नौसौ इकतीश वर्ग गज़) महदूदा मुफस्सला जैल है जिसके जुज़वी रकबे मे कोठी, सर्वेन्ट क्वार्टर्स, गेस्ट क्वाटरस व फैक्टरी शेड्ज बिलडिंग व गैरिज मय मैटीरियल बिल्डिंग इस्तादा इत्यादि मोजूदा नम्बरान मुबईया बमय मेटीरियल बिलडिंग खिश्ती चोबी सहन वाईहोनी वगैरा इमारती मैटिरियल व चाह पुख्ता ट्यूब वेल बाग़ बागीचा दरख्तान फलदार व गैर फलदार सायदार व गैर दरख्ती जिनका महायदा बैबज़रिये इकरारनामा तारीख ३० अक्तूबर सन् १९५९ ई० मे बिल मुख्ता कीमत करार याफता बाअवज़ी एक लाख साठ हजार रुपये (१,६०,००० रु०) मे हिन्दुस्तान मैनज ~~मेन्टडस्ट~~ प्राईवेट लिमिटड ~~बम्बई~~ से हो गया है । हम मुकरान नम्बरान मुबईया के भूमिधरी काबिज होने के कारण हमको मुकम्मल हक बे करने का कानूनन व वाकातन हम बायान को हासिल है । कोई अमर कानूनी या वाकाती माने बैनामा नहीं है और न माने हो सकता है क्योंकि जायदाद मुबइया हमारी जाती खरीद करदा है जो हमारी तरफ से हर किस्म के बारे किफालत सदमे इन्तकालात देनदारी बाड़ व रहन व दीगर मतालबे ज़मानत महायदा बै, व सरकार हिन्द उत्तर प्रदेश सरकारे एक्वायरी नोटिस

जमा नं० 14 1/60 को ... 500/- की श्री गोपाल दास ... डायमेन्ट ...
... प्राईवेट लि० को ... जाय।

S. K. Jain
Tehsildar
Ghaziabad
14-1-60

... सब रजिस्ट्रार ...

बही	नम्बर	जिल्द	सफ़ा
1630	45	164/50	1800

श्री ... चितरञ्जन दास
पुत्र श्री ... हरिमोहन दास
पेशा ...
निवासी मौजा ... देहरादून ... ने
दस्तावेज़ हाजिर ... सब रजिस्ट्रार ... 21/4/60
... के मध्य ...

Chitranjan Das

Gulraiyan ...

दस्तावेज़ की तकमील और उस में लिखे हुये कुल जर बदल मु० ... एक लाख ... रुपया ...
बिल में से मु० ...
... पेश ... 000760 ... 000762
... बैंक लिमिटेड नई दिल्ली ...
... इकबाल किया ...
... 40333/33 N.P. ...

शनाख्त मुकिर मजकूर की

श्री ...
पुत्र श्री ...
पेशा ...
निवासी ...

श्री ...
पुत्र श्री ...
पेशा ...
निवासी ... के
दस्तखत ...

... N.P. ...
... 40333/34 N.P. ...
... नई दिल्ली ...

PRADESH

INDIA NON JUDICIAL

५००रु.

Rs500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

(३)

कोठी नं० ६, बी-४, राजेन्द्र नगर नई दिल्ली में वे कराई कर

दिया है जो बेच दिया है । ज़रे समन तमाम व कमाल कहीं तकसील

वसूल पा लिया कि मु० १५००० रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) बज़रिये

के हाथ इकरारनामा मोहर्रिरा ३०-१०-५६ ई० को वसूल पा चुके है

बाकी मु० १,४५,००० रु० (एक लाख पैंतालीस हजार रुपये) नकद बज़रिये पे-

स्लिपहाय हंगाम रजिस्ट्री रूबरू श्री सब रजिस्ट्रार साहब तहसील गाजियाबाद के सामों

पे स्लिप तारीखी १८-१-६० ई० जो इन्डियन बैंक लि०, नई दिल्ली [illegible] है ।

~~[illegible]~~

हरएक नम्बरी, ०००७६० ४८,३३३-३३ नये पैसे बनाम चितरंजन दास, ०००७६१ ४८,३३३-३३ नये पैसे बनाम

~~[illegible]~~

रविरंजन दास, ०००७६२ ४८,३३३-३४ नये पैसे बनाम श्री किशन दास

~~[illegible]~~

~~[illegible] लिया है जो~~

14-1-60 [illegible]

[illegible]

PRADESH

31 500 Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

तारीख१८ जनवरी सन् १६६० ई० को जारी करता हैं । इस तरह

पर कुल ज़ेर समन खरीदार से वसूल पा लिया है । अब इकरार

यह है कि निस्बत जायदाद मुबइया या उसके ज़ेर समन से हमारा

कोई तालुक या वास्ता बाकी नहीं रहा हैं और न आइन्दा होगा

कृपया शेष पन्ना नं० ५ पर :

4/15

S. Fyo [illegible]

16-1-60

PRADESH 500 Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

कब्जा वाकई व कामिल जायदाद मुबइया को खरी दारके बनाके

खरीदार दे दिया हैं । अब खरीदार उसको अपने इस्तेमाल

मालिकाना भूमिधरी में लावें । ख्वाह हस्बुल नक्शा मंजूरा

खुद कोई सनअत व हिरफत (उद्योग धन्धों) के लिए कारखाना

फैक्टरी सर्वेन्ट रूम जदीद तामीर करे या बय जिन सही इस्तेमाल

मे लावें या कोठी बंगला तामीर करे या खुद काश्त करें ।

शेष पन्ना नं० ६ पर

H/16

14-1-60

AR PRADESH

500 Rs

INDIA NON JUDICIAL

५००रु.

Rs500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

या बागीचा लगावे गर्ज कि जुमले अख्त्यारात मालकाना भूमिधरी अमल

मे लाकर मुस्तफीद रहेंगें । तारीख हमरोजा से खरीदारान वजदाये

मालगुजारी सरकार व हसूल कब्जा मिस्ल मुकिरान बायान भूमिधरी

के मालिक रहेंगें कुछ उज़्र नहीं होगा । नम्बरान मुबईया के मिनजुमला

नम्बर ८४३ को हम बयान ने बजरिये बैनामा तारीखी ३१ अगस्त, सन् १९ ६०

14-1-60

R PRADESH 500 Rs

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

(७)

मुस्दईका रजिस्ट्री ४ सितम्बर सन् १९५६ ई० जब करारी नमाखुरद्दान मेरा

बयान से खरीद किया है जिसका दाखिल खारिज मेरे तसदीक है । कि

वक्त हम बायान के हक मे दाखिल खारिज मजूर हो जावेगा बादहू वाहक

खरीदार करा दिया जावेगा कुछ उज्र नहीं होगा । अगर अवगह

बेहस्तहकाकी मुकिरान बायान या बदावेदारी मेरे किसी कौम व

H/18

14-1-60

R. PRADESH

500 Rs

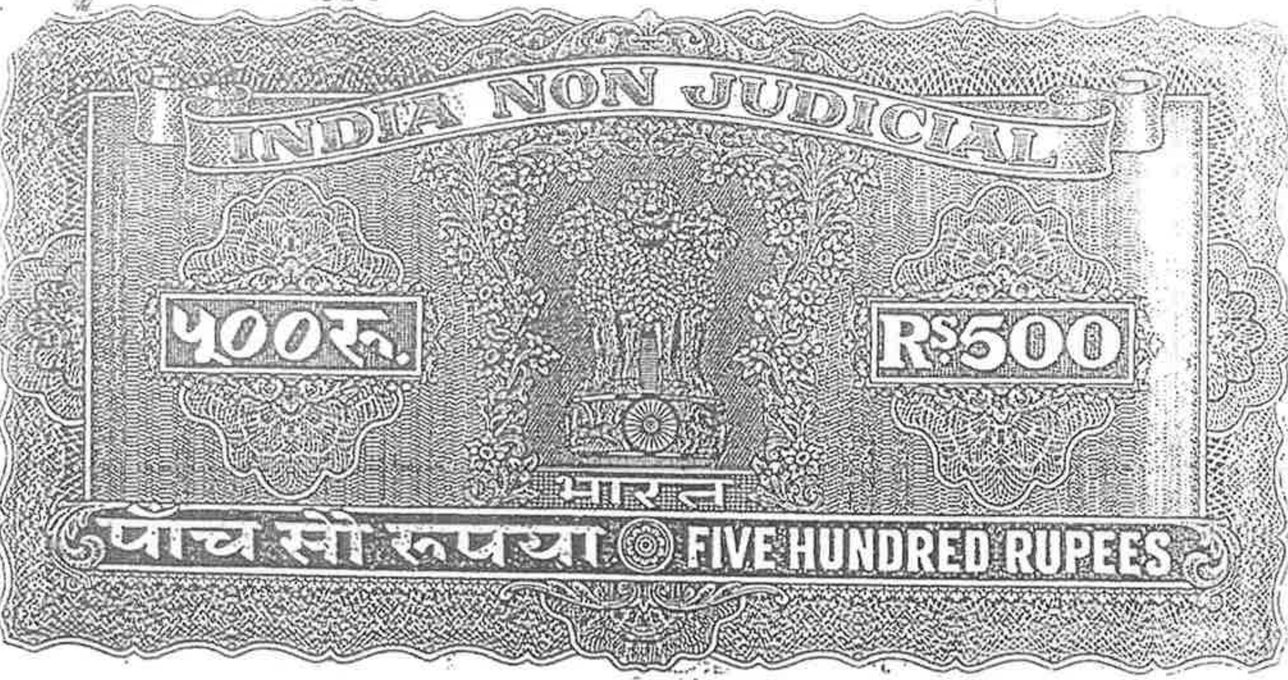

(८)

शरीक वारसान कायम मुकामान जानशीनान वारसा अलीया के

जायदाद नम्बरान मुबइया जुज या कुल नम्बरान मुबइया का

रूबा या मैटीरियल बिलडिंग वगैरा वगैरा यानी नम्बरान मुबइया

का रूबा या तामीरात का मैटीरियल नहीं हो तो मुतालिका

जायदाद मुबइया के हैं कब्जे खरीदार से निकल जावेगा तो ऐसा

H/19

AR PRADESH 500 Rs

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs500

भारत

पांच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

(६)

तो ऐसी हालत मे हम बायान कुल जेर सनन या जुजवी जेर सनन

की जैसी सूरत होगी वापसी के मय हर्जे खर्चे व सूद कानूना के

हिसाब से जिम्मेदार रहेगें । जिसकी अदायगी के लिए हमारी

जात खास व जायदाद मनकूला व गैरमनकूला खास तौर बायान

जिम्मेदार रहेगी कुछ उज्र न होगा ।

H/20

115 [illegible] नं० 14 1/60 की [illegible] 500/- की 33 5/8 में [illegible]

Tehsildar
Ghaziabad
14-1-69

TAR PRADESH

200 Rs

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

(१०)

काबिज दाखिल जुमले जायदाद मुबइया का मुश्तरी [illegible] में हम

मुश्तरीयान बदरखास्त खुद बयहक खुद करा देवें । वरना [illegible]रीयान

को पूरा पूरा हक होगा कि वह बजरिये बैनामा हाजा काबिज

दाखिल खुद करा लेवें हम को इसमें कभी और किसी [illegible] उज्र

न होगा । बैनामा हाजा कानून सही व जायज रहेगा । जो

काबिल पाबन्दी रहेगा ।

H/21

[illegible] आज ता० 14/1/60 को [illegible] 200/- को 33 रु० में [illegible] (रु० [illegible])

[illegible]
Tehsildar
Ghaziabad
14-1-60

TAR PRADESH 100 Rs

(११)

इस लिए यह बैनामा बारे व कब्जा कुल वसूल और समन तहरीर कर दिया

कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें । इति ।

तफसील नम्बरान मुबइया जिनका नक्शा बैनामा के साथ है और

रकबा मुबइया सुरख रंग से जाहिर है और माहकदार मुबइया की मालकान्टरी

बाल पुख्ता तामीर है । मकान नम्बर ८४३ की तीन कारो की मालकानहा

तामीर नही है । और रकबे मुबइया मे इकरारनामे के रकबे से ज्यादा

२६ गज रकबा और बेसी किया है जो नम्बर ८४६ के गोसे मे कमरे

तामीर का है । ---------- वाके ग्राम पसोंडा परगना लोनी

तहसील गाजियाबाद जिला मेरठ ।

H/22

[illegible]

14-1-60 [illegible]

पन्द्रह रुपया

भारत INDIA

१५रु. FIFTEEN RUPEES 15Rs.

(१२)

८४६ मि/३४+१८½ ८४७ मि/१५+१४ ८३६ मि/५१ ८३७/118 ८३८/13 ८३९/1१ ८४०/52

८४१/11 ८४२/13 ८४३/३½ कुल १० नम्बरान रकबई [illegible] बीघे [illegible]

[illegible] साढे तेरह बीसान्सी पुख्ता व हदूद अरबा जायदाद मुवइया

पुरब :- मसजिद व दीगर नम्बरान पश्चिम :- दीगर नम्बरान भूमिधरी मिलकियत मुकरान उत्तर :- दीगर नम्बरान भूमिधरी दीगर मालिकान दक्षिण :- सदर दरवाजा बादहू जी० टी० रोड ।

नोट :- दस्तावेज़ हाजा के परत अवल के सतर २६ में फैक्टरी कटा है । और [illegible] सोयम की सतर ८ शब्द तीन ता सतर ११ के शब्द आसरा जो [illegible] है । और सतर ७ मे शब्द पे रिलाप ता शब्द किशन [illegible] सतर ६ [illegible] ऊपर [illegible] लिखा है जो सही है । और परत हाजा की सतर पहली मे नं० ८३६ सही है । और सतर पहली और दूसरी मे नम्बरान का [illegible] कलम से लिखा है जो सही है ।

[illegible]

C. R. [illegible]

Chitranjan Das

Lem [illegible] Das

यशोदा चन्द भान शर्मा

[illegible]

वकील नवीस गाजियाबाद ।

१४ जनवरी सन् १९८० ई०

टाइप करने वाला

आर० सी० टन्डन गाजियाबाद

H/23

ता० २८-१-६० (४५) गोपाललाल मैनेजिंग डायरेक्टर दयालबाग मैं [illegible]

कॉपी नं० १ जिल्द १०२८ के वरक २१६ ता ३०० में मिसल नम्बर २०२८ पर आज दिनांक २९ जनवरी सन् १९६० ई० रजिस्ट्री हुई।